राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in | Phone: + 91172 2584810
Email id:sec@hry.nic.in | Fax : +91172 258 5904

आदेश

जैसा कि श्री नियामत अली, सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह तावडू रोड, जिला नूंह ने वर्ष 2022 में नगरपरिषद नूंह के आम चुनावों में वार्ड नं0 01 से सदस्य का चुनाव लड़ा था तथा जिसमें वह निर्वाचित घोषित हुआ। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13H में दिये गये प्रावधान अनुसार उसे चुनाव परिणाम जारी होने के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, नूंह के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। धारा 13H में दिये गये प्रावधान निम्न प्रकार से हैः–

> "Every contesting candidate or his election agent shall, lodge account of election expenditure within thirty days from the date of declaration of election result with the Deputy Commissioner or an officer authorized by the State Election Commission. The Deputy Commissioner or such officer shall, send a list of those candidates who contested by fail to lodge the account of election expenditure or made expenditure beyond the limit prescribed by the State Election declaration of election result. The State Election Commission shall accordingly pass an order of their disqualification under section 13 F".

2. जैसा कि चुनाव खर्च रजिस्ट्र समय पर जमा न करवाने पर उपायुक्त, नूंह द्वारा श्री नियामत अली को अपने आदेश कमांक 2093-99/एल0एफ0ए0 दिनांक 10.04.2024 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत पांच वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया। तदनुसवार राज्य निर्वाचन

आयोग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/714, दिनांक 05.06.2024 अनुसार श्री नियामत अली सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य, वार्ड नं0 01 नगरपरिषद नूंह को अयोग्य ठहराये जाने बारे अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 05.06.2024 को अधिसूचित करवा दिया।

3. जैसा कि श्री नियामत अली, सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह तावडू रोड, जिला नूंह ने दिनांक 01.07.2024 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव के दौरान उसने अपना खर्चा रजिस्ट्र उपायुक्त, नूंह के कार्यालय में एल0एफ0ए0 शाखा में प्रस्तुत कर दी थी तथा जिसकी उसे उस समय कोई रसीद नहीं दी गई। लेकिन अचानक उसके 09 वर्ष के पुत्र की स्कूल बस के साथ दुर्घटना में मृत्यु हो गई जिसके कारण उसकी मानसिक एवं पारिवारिक हालात खराब होने के कारण वह खर्चा रजिस्ट्र जमा करवाने और रसीद लेने बारे कोई अन्य कार्यवाही नहीं करवा पाया।

4. मैने अपीलार्थी श्री नियामत अली सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य, नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह तावडू रोड, नूंह को भली भांति सुन लिया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिया है। वर्णित परिस्थिति के दृष्टिगत मैं मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उपायुक्त, नूंह द्वारा क्रमांक 2093-99/एल0एफ0ए0 दिनांक 10.04.2024 और राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/714,दिनांक 05.06.2024 के आदेश में श्री नियामत अली सपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह

को पांच वर्षो के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश को निरस्त करता हूं तथा आदेश करता हूं कि श्री नियामत अली सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य, नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह तावडू रोड, नूंह का नाम अयोग्य घोषित/अधिसूचित किये गये प्रत्याशियों की सूची से हटा दिया जाये।

5. मैं उक्त आदेशों को नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने का भी आदेश पारित करता हूं।

स्थानः पंचकूला
दिनांक 10 अगस्त 2024

धनपत सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

क्रमांक रा0नि0आ0/3एम0ई0/2024/813-18 दिनांक 11.07.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, नूंह।
4. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद नूंह ।
5. श्री नियामत अली सुपुत्र श्री महमूद खान, सदस्य, नगरपरिषद वार्ड नं0 01, नूंह तावडू रोड जिला- नूंह।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, पंचकूला को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 11/7/2024